



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 3, 2010/आषाढ़ 12, 1932

No. 168]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 3, 2010/ASADHA 12, 1932

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

परिशिष्ट

नई दिल्ली, 28 जून, 2010

सं. एल-1/18/2010-केंविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाएगा :

पृष्ठ 59 में, विनियम 6 के खण्ड (5) के उप-खण्ड (18) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-खण्ड 6.5.18 (क) जोड़ा जाएगा :

“6.5.18 (क). विनियम 6.5.18 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उन केन्द्रों, जिनके पास दीर्घ-कालिक तथा मध्य-कालिक सविदाओं के लिए क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार पर आधारित दो तरफा टैरिफ है, के लिए यूनिट के अस्वाभाविक रूप से बंद होने की दशा में, आरएलडीसी पुनरीक्षित घोषित क्षमता के आधार पर अनुसूची को पुनरीक्षित करेगा। पुनरीक्षित घोषित क्षमता तथा पुनरीक्षित अनुसूचियां उस समय ब्लॉक की गणना करते हुए चौथे समय-ब्लॉक से प्रभावी हो जाएंगी जिसमें आईएसजीएस द्वारा एक बार पुनरीक्षण किए जाने की सलाह दी गई हो।”

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10-असा.]

टिप्पण :—मूल विनियम, भारत के राजपत्र संख्या 115 के भाग III—खण्ड 4 में तारीख 28-4-2010 को प्रकाशित किए गए थे।

2557 GI/2010

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY
COMMISSION

ADDENDUM

New Delhi, the 28th June, 2010

No. L-1/18/2010-CERC.—The following regulation in Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 shall be corrected as under:

In page 128 after sub-clause (18) of clause (5) of Regulation 6, a new sub-clause, namely, 6.5.18 (a) shall be added as under :

“6.5.18 (a). Notwithstanding anything contained in Regulation 6.5.18, in case of forced outages of a unit, for those stations who have a two part tariff based on capacity charge and energy charge for long-term, and medium-term contracts, the RLDC shall revise the schedule on the basis of revised declared capability. The revised declared capability and the revised schedules shall become effective from the fourth time block, counting the time block in which the revision is advised by the ISGS to be the first one.”

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT. III/4/150/10-Exty.]

Note :—The principal regulations were published on 28-4-2010 in Part III—Section 4 of G.I. No. 115.

(1)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 28 जून, 2010

सं. एल-1/18/2010-केंविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया जाएगा :

1. पृष्ठ 13 में, विनियम 1 के खण्ड (5) के उप-खण्ड (iii) की पहली पंक्ति में, "आरपीसी या आरएलडीसी" शब्दों के स्थान पर "आरएलडीसी या आरपीसी" शब्द रखे जाएंगे।
2. पृष्ठ 52 में, विनियम 6 के खण्ड (4) के उप-खण्ड (15) की दूसरी पंक्ति में, "चालन" शब्द के स्थान पर "पालन" शब्द रखा जाएगा।
3. पृष्ठ 57 में, विनियम 6 के खण्ड (5) के उप-खण्ड (13) के अधीन "दृष्टांत" शीर्षक के अंतर्गत समीकरणों में पहले बंद होने वाले काष्ठक स पूर्व आने वाले सभा चिह्न (-) का लोप किया जाएगा।
4. पृष्ठ 62 में, विनियम 6 के खण्ड (6) के उप-खण्ड (2) की पहली पंक्ति में, "1.04.2010" अंकों के स्थान पर "3.5.2010" अंक रखे जाएंगे।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10-असा.]

टिप्पण :—मूल विनियम, भारत के राजपत्र संख्या 115 के भाग III—खण्ड 4 में तारीख 28-4-2010 को प्रकाशित किए गए थे।

CORRIGENDUM

New Delhi, the 28th June, 2010

No. L-1/18/2010-CERC.—The following regulation in the Central Electricity Regulatory Commission (Indian Electricity Grid Code) Regulations, 2010 shall be corrected as under:

1. In page 85, in second line of sub-clause (iii) of clause (5) of Regulation 1, the words "RPCs or RLDCs" shall be substituted with the words "RLDCs or RPCs".
2. In page 120, in the seventh line of sub-clause (7) of clause (4) of Regulation 6, the letter 'r' appearing after the word 'frequency' shall be deleted.
3. In page 122, in the first line of sub-clause (15) of clause (4) of Regulation 6, the word "other" shall be deleted.
4. In page 127, in the equations under the heading "Illustration" under sub-clause (13) of clause (5) of Regulation 6, all the (-) signs appearing before the first closing brackets shall be deleted.
5. In page 131, in second line of sub-clause (2) of clause (6) of regulation 6, the figures "1.4.2010" shall be substituted with figures "3.5.2010".

ALOK KUMAR, Secy.

[ADVT. III/4/150/10-Exty.]

Note :—The principal regulations were published on 28-4-2010 in Part III—Section 4 of G.I. No. 115.